न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 10/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. गोदाराम पुत्र खीयाराम जाति जाट निवासी बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.नराराम पुत्र गंगाराम जी जाति जाट निवासी नारायणनगर ढाढणिया भायला तहसील शेरगढ 02.तेजाराम पुत्र देराम जी जाति जाट 03.छोटा देवी पुत्री देराम जी जाति जाट 04.जमना देवी पत्नि देवाराम जी जाति जाट 05.विधु देवी पुत्री देराम जी जाति जाट 06.मगाराम पुत्र देराम जी जाति जाट निवासीगण गाव बोरानाडा तहसील जिला जोधपुर। 07.तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

(मुहर: उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी))

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजपति ।

02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवडा ।

आदेश दिनांक :–06.02.2023

प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमे प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 427/96 रकबा 2.4524 हैक्टर ग्राम बोरानाडा तहसील झवर आई हुई है तथा अप्रार्थी सख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 95/3 रकबा 0.6475 हैक्टर एव अप्रार्थी सख्या 2 से 6 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सख्या 95 रकबा 2.0611 हैक्टर ग्राम बोरानाडा मे आई हुई है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के लिए कोई वैकल्पिक साधन रास्ता नही है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से रास्ते की मांग की तो अप्रार्थीगण ने इंन्कार कर दिया ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे से 30 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। अप्रार्थीगण सख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित । अप्रार्थीगण की ओर से जबाव पेश किया गया। तहसीलदार झंवर से मौके की रिपोर्ट तलब की जो तहसीलदार लूणी द्वारा कमाक/भू.अ/2022/81 दिनाक 13.06.2022 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा सख्या 427/96 ग्राम बोरानाडा की कृषि भूमि बाबत कोई रास्ता नही होने के कारण एव वैकल्पिक साधन के अभाव एव रास्ते की आत्यतिम आवश्यकता के आधार पर अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि मे से 30 फीट चौडा नवीन रास्ते

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

की मांग की तथा तहसीलदार झंवर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की निवेदन किया।

पत्रावली मे तहसीलदार झंवर द्वारा अपने पत्रांक/भूअ/2022/81 दिनाक 13.06.2022 पेश की जिसके साथ भू.निरीक्षक द्वारा दिनाक 09.06.2022 की मौका रिपोर्ट फर्द सलग्न है जिसमे प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता न होने के कारण अप्रार्थी सख्या 2 से 6 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 95 मे से रास्ता दिए जाने का भी कथन किया है तथा तहसीलदार ने भी इसकी अनुशंषा की है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि के लिए कोई वैकल्पिक साधन एव रास्ता नही है तथा धारा 251ए के तहत खातेदार को अपनी जोत के लिए रास्ते की आवश्यकता होने पर निकटतम एव लधुतम रास्ता दिए जाने का प्रावधान है तथा उसे अधिकार प्रदान किया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूँकि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सख्या 472/96 के लिए अप्रार्थी सख्या 2 से 6 की खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा सख्या 95 मे से मौका फर्द दिनांक 09.06.2022 के अनुसार नवीनतम 30 फीट का रास्ता दिए जाना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सख्या 427/96 ग्राम बोरानाडा के लिए अप्रार्थी सख्या 2 से 6 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सख्या 95 ग्राम बोरानाडा मे से मौका फर्द दिनांक 09.06.2022 के अनुसार 30 फीट चौडा एव 475 फीट लम्बाई कुल रकबा 16 बिस्वा अर्थात 0.1323 हैक्टर भूमि रास्ते के लिए गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उक्त खसरा सख्या 95 ग्राम बोरानाडा मे से फर्द दिनाक 09.06.2022 के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करे तथा मौके पर रास्ता कायम करे। प्रार्थी उक्त रास्ते के प्रतिफल पेटे मौका फर्द दिनाक 09.06.2022 के आधार प्रतिफल की राशि 1407120/रूपये अप्रार्थीगण सख्या 2 से 6 को अदा करे या डी.डी अप्रार्थीगण सख्या 2 से 6 के नाम की बनाकर तहसील कार्यालय मे जमा करावे। मौका फर्द दिनांक 09.06.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(गोपाल परिहार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी